संख्याः 1622/12–2–2012–61/2012

प्रेषक,

राजीव कपूर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 08 जून, 2012

विषयः जिंक सल्फेट, जिप्सम, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, कृषि रक्षा रसायनों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 मई, 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिंक सल्फेट, जिप्सम, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, कृषि रक्षा रसायनों एवं कृषि रक्षा उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

1. वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार समस्त कृषि रक्षा यंत्रों का क्रय यू.पी.स्टेट एग्रो द्वारा किया जायेगा।
2. वर्तमान में जिप्सम का क्रय यू.पी.स्टेट एग्रो द्वारा और जिंक सल्फेट का क्रय कृषि विभाग तथा यू.पी.स्टेट एग्रो द्वारा कराया जा रहा है। प्रक्रिया को सरल करने के लिए जिप्सम और जिंक सल्फेट दोनों का क्रय यू.पी.स्टेट एग्रो द्वारा ही कराया जाये।
3. कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले कृषि रक्षा रसायनों, माइक्रोन्यूट्रियन्ट एवं अन्य सामग्री का क्रय कृषि निदेशालय द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
4. उद्योग विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष को एक बार में रू0 10.00 लाख की सीमा तक का क्रय करने का अधिकार दिया गया है। एक बार में इससे अधिक का क्रय करने के लिए प्रशासकीय विभाग की अनुमति आवश्यक है। तद्नुसार कृषि निदेशक स्तर पर एक बार में रू0 10.00 लाख से अधिक के क्रय पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में क्रय की प्रारम्भिक स्वीकृति भी शासन स्तर से ली जायेगी। बिडिंग डाक्यूमेंट एवं शर्तो का निर्धारण भी शासन की अनुमति से तथा आवश्यकतानुसार न्याय विभाग से प्रपत्रों के विधीक्षण के उपरान्त किया जायेगा।
5. कृषि निदेशक स्तर पर उद्योग विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित क्रय समितियों का गठन किया जायेगा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रय समितियों में कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों के एक्सपर्ट को भी सम्मिलित किया जाये। शासन से क्रय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजते समय कृषि निदेशक यह प्रमाणित करेंगे कि समस्त प्रक्रिया निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।
6. कृषि रक्षा रसायनों का क्रय अभी तक उद्योग निदेशालय द्वारा जारी किये गये अनुबंधित दरों के आधार पर किया जाता था। अब उद्योग विभाग द्वारा दर अनुबंध समाप्त कर दिया गया और निर्देश दिये हैं कि आवश्यकतानुसार दर एवं मात्रा अनुबंध दोनों ही संबंधित विभाग द्वारा किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे कृषि रक्षा रसायन, जिनकी वार्षिक मांग को सुविधापूर्वक इस्टीमेट किया जा सकता है, उनका क्रय मात्रा अनुबंध के आधार किया जायेगा जिसके लिए प्रक्रिया पूर्व के प्रस्तरों के अनुसार रहेगी। ऐसे कृषि रक्षा रसायन, जिनकी वार्षिक मांग सुविधापूर्वक निर्धारित नहीं की जा सकती है, उनकी पूर्ति हेतु कृषि निदेशालय स्तर पर अनुबंध निर्धारित प्रक्रिया के

नुसार किया जायेगा। कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निविदादाता द्वारा निविदा में यह उल्लेख किया जायेगा कि किस स्रोत से तकनीकी एजेन्ट (Technical Active Ingredient) का क्रय करेंगें एवं निविदा मूल्य की कास्टिंग भी निविदा प्रपत्र में उल्लिखित की जायेगी। निविदा प्रपत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि प्रत्येक आपूर्ति के समय इन्वायस के साथ तकनीकी एजेन्ट के क्रय की इन्वायस भी संलग्न की जानी आवश्यक होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्तिकर्ता द्वारा गुणवत्तायुक्त तकनीकी एजेन्ट का प्रयोग किया गया है।

7. प्रत्येक क्रय हेतु आई.एस.आई./बी.आई.एस. मानक के अनुरूप तकनीकी मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगें। जिन आइटम के लिए पर्याप्त आई.एस.आई./बी.आई.एस. मानक के आपूर्तिकर्ता उपलब्ध है, उनके क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता के आई.एस.आई./वी.आई.एस. उत्पादक होने की शर्त लगायी जायेगी।

8. कृषि रक्षा रसायनों, जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रियन्ट के क्रय आदेश जिन संस्थाओं के दिये जायेंगे, उनके द्वारा प्रत्येक लाट का उत्पादन पूर्ण होने की सूचना कृषि निदेशालय/यू.पी.स्टेट एग्रो को दी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/प्रबंध निदेशक, यू.पी.स्टेट एग्रो द्वारा 2–3 अधिकारियों की टीम का गठन किया जायेगा जो फैक्ट्री में जाकर उत्पादित लाट के नमूनें लेंगे और लाट को सील करेंगें। इस प्रकार से संग्रहीत नमूनों में से एक नमूना विभागीय लैब और दूसरा नमूना श्री राम लैब, नई दिल्ली को भेजा जायेगा। इन दोनों नमूनों के टेस्ट परिणामों के आधार पर लाट को पास अथवा फेल करने का निर्णय लिया जायेगा। इस प्रकार के परीक्षण पर होने वाला व्यय संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। लाट के पास होने की दशा में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उत्पादक के परिसर से उन्हे डिस्पैच कराया जायेगा।

9. बायोएजेन्ट् ट्राइकोडर्मा, बेबीरिया का उत्पादन कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं एवं कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा और यह प्रयास रहेगा कि मांग के अनुरूप आपूर्ति इन्ही संस्थाओं के माध्यम से किया जाये। इसके लिए दरों का निर्धारण कृषि निदेशालय द्वारा लागत को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। यदि कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं एवं कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में वांछित मात्रा में इन उत्पादों की आपूर्ति सम्भव नहीं होती है तो अपरिहार्य दशा में अतिरिक्त मात्रा का क्रय बाजार से किया जायेगा। इसके लिए भी सामान्य शर्ते वहीं होंगी जिनका उल्लेख उपरोक्त प्रस्तरों में किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कपूर)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1622 (1)/12–2–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबंध निदेशक, यू.पी.स्टेट एग्रो इण्ड. कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बादल चटर्जी)
विशेष सचिव।